

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2011—चैत्र 10, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. एफ ए-3-60-2005-1-पांच (15).—यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट रीति में तथा सीमा तक संशोधन करती है :—

#### सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	संशोधन (3)
1	एफ ए-3-59-05-1-पांच (16) दिनांक 31-3-2006.	अंक "31-03-2011" के स्थान पर, अंक "31-03-2012" स्थापित किये जाएं.
2.	एफ ए-3-38-06-1-पांच (46) दिनांक 5-7-2006.	अंक "31-03-2011" के स्थान पर, अंक "31-03-2012" स्थापित किये जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. एफ ए-3-60-2005-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-60-2005-1-पांच (15), दिनांक 31 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2011

F No. A-3-60-2005-1-V (15).—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, makes the amendments in this department's notifications specified in column (2) of the Table below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said Table :—

TABLE

S. No. (1)	Notification No. (2)	Amendments (3)
1	F A-3-59-05-1-V (16) dated 31-3-2006.	For the figures "31-03-2011", the figures "31-03-2012" shall be substituted.
2	F A-3-38-06-1-V (46) dated 5-7-2006.	For the figures "31-03-2011", the figures "31-03-2012" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.